बिहार सरकार

समाहरणालय, अररिया

(जिला स्थापना प्रशाखा)

दूरभाष सं. : 06453-222001 (का0)
: 06453-222102 (आ0)
फैक्स सं. : 06453-222124
email Id : dm-araria.bih@nic.in

आदेश

अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक- बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध-15/2010/सो0 189 दिनांक 04.03.2015 में निहित निदेश के आलोक में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम, 2011 से संबंधित कार्यो के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने एवं जिला के अन्य कार्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप संविदा के आधार पर कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजन हेतु दिनांक 20.05.2016 को आहुत जिला चयन समिति की बैठक में समिति द्वारा अनुमोदित पैनल से 29 (उन्नतीस) अभ्यर्थियों को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 434/स्था0 दिनांक 30.06.2016 एवं आदेश ज्ञापांक 459/स्था0 दिनांक 06.07.2016 के द्वारा कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजित किया गया। तदोपरांत 6 (छः) अभ्यर्थियों द्वारा योगदान समर्पित नहीं किया गया तथा 2 (दो) अभ्यर्थियों के योगदान को अस्वीकृत किया गया।

उक्त आदेश के आलोक में कार्यापालक सहायक पद पर योगदान समर्पित नहीं किये जाने तथा योगदान अस्वीकृत होने के कारण कुल 08(आठ) पद रिक्त रह जाने के फलस्वरुप इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 559/स्था0, दिनांक 16.08.2016 के द्वारा 08 (आठ) अभ्यर्थियों को आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुरुप प्रथम एक वर्ष के लिए नियोजन पत्र निर्गत किया गया।

तदोपरान्त उक्त 08 (आठ) अभ्यर्थियों में से 07 (सात) अभ्यर्थी योगदान समर्पित किया, जिन्हे इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 629/स्था0, दिनांक 09.09.2016 के द्वारा विभिन्न कार्यालय में पदस्थापित किया गया है। शेष 01 (एक) अभ्यर्थी के द्वारा योगदान समर्पित नहीं किया गया।

उक्त आदेश के आलोक में कार्यपालक सहायक पद पर योगदान समर्पित नहीं किये जाने के कारण मात्र 01 (एक) पद रिक्त रह गया है, जिसके विरुद्ध नीचे अंकित अभ्यर्थी को आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुरुप प्रथम एक वर्ष के लिए सशर्त्त नियोजित किया जाता है।

क्र0	नाम/आई0डी0 सं0	पदनाम	पिता/पता	कोटि, जिसके विरुद्ध नियोजन किये गये है।
1	2	3	4	5
1	अमित कुमार झा ARR004942	कार्यपालक सहायक	श्री विजय कान्त झा, ग्राम-डुमरिया, पो0-भदेश्वर, भाया-बथनाहा, थाना-जोगबनी, जिला-अररिया	सामान्य

शर्त्ते

1. अभ्यर्थियों का नियोजन अस्थाई रूप से योगदान की तिथि से प्रथम एक वर्ष के लिए होगी एवं आवश्यकता अनुसार तथा कार्य संतुष्टी के आधार पर नियोजन की अवधि के विस्तार पर विचार किया जायेगा। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं किया जाता है, तो यह नियोजन एक वर्ष के बाद की तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगा। जिसके लिए अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. नियोजित कार्यपालक सहायक को एक डेस्कटॉप, एक प्रिंटर (Black & White), एक यू0पी0एस0 एवं इंटरनेट कनेक्सन अपने साथ लाना अनिवार्य होगा।
3. नियोजित कार्यपालक सहायक को अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक- बि0प्र0सु0मि0सो0/योजना-02/2012 (खंड)-163 DSC दिनांक 01.09.2015 के आलोक में मो0 11345.00 (ग्यारह हजार तीन सौ पैतालीस) रूपैये प्रतिमाह नियत मानदेय का

भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इन्हें कोई भी राशि देय नहीं होगी।

4. कार्यपालक सहायक को संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के 18 जूलाई, 2007 के निर्गत परिपत्र के आलोक में अवकाश देय होगा।
5. नियोजित कार्यपालक सहायक संबंधित पदाधिकारी एवं अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सौंपे गये कार्यो एवं निदेशों का ससमय दृढ़ता पूर्वक निष्पादन करेंगे। कार्यो में लापरवाही एवं सम्पादित कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना नोटिस नियोजन से हटाने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
6. संविदा पर उपरोक्त प्रकार से नियोजित अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में नियमित करने संबंधित किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
7. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा नियोजन की उपरोक्त शर्त्तो को मानने संबंधी एकरारनामा (**Agreement**) प्रस्तुत करने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
8. नियोजित कार्यपालक सहायक को मानदेय का भुगतान उनके योगदान की तिथि से देय होगा।
9. योगदान हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगी।

नियोजित कार्यपालक सहायक को निदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 30/09/2016 को अपराह्न 04:00 बजे तक सभी मूल प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त) एवं एकरारनामा के साथ निश्चित रूप से अपना योगदान जिला स्थापना प्रशाखा, अररिया में देना सुनिश्चित करेंगे। यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि आप के द्वारा गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त किया गया है, तो आप का नियोजन रद्द कर दिया जायेगा और आप पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

ह0-

जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक 673/स्था0, अररिया, दिनांक 23/09/2016

प्रतिलिपि : संबंधित नियोजित कार्यपालक सहायक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला आई0टी0 प्रबंधक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे जिला के अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, अररिया/अपर समाहर्त्ता, अररिया/अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया एवं फारबिसगंज/जिला नजारत उप समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक- बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध-15/2010/सो0 189 दिनांक 04.03.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/9/16

जिला पदाधिकारी,
अररिया